

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024, के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, भागलपुर क ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 04 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु क उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) तथा 02 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० 4,00,000/- (चार लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 6,00,000/- (छः लाख रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रिता को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उग्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं गो०न०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० मेवी दास, 61, रव० बलदेव दारा, अनुसूचित जाति	तारा देवी (पत्नी)	732 18.05.2026	ग्राम-रामनगर बैजानी, पो०-बैजानी, थाना-प्र०-जगदीशपुर जिला-भागलपुर 8235875911	147601 100091 30	UCO UCBA000 1476	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्मर
2	स्व० राजेन्द्र दारा, 39, रव० राल्लो दारा, अनुसूचित जाति	शारदा देवी (पत्नी)	734 18.05.2026	ग्राम जगदीशपुर, पोखर के नजदीक, पो०। थाना। प्र० जगदीशपुर जिला भागलपुर 9600062040	581310 110009 124	BOI BKID000 5813	रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु (राइक दुर्घटना के कारण) कृषक मजदूरी
3	स्व० रुक्मिणी कुमारी, 22, आयोध्या कुमार गंडल, अनुसूचित जनजाति	आयोध्या कुमार मंडल (पति)	811 27.05.2026	ग्राम बाखरपुर पूर्वी, पो०। थाना बाखरपुर, प्र० पीरपैती, जिला भागलपुर 9052404763	742200 010001 4540	PNB PUNB074 2200	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक कार्य एवं ईट भट्टा में मजदूरी का कार्य
4	स्व० कबूतरा देवी, 62, जगत मुसहर, अनुसूचित जाति	जगत गुराहर (पति)	812 27.05.2026	ग्राम दुबौली, पो० अम्मापली, पं० रालेगपुर, थाना। प्र० पीरपैती, जिला-भागलपुर 6202154988	170201 001023 64	UCO UCBA000 1702	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक कार्य एवं ईट भट्टा में मजदूरी का कार्य
5	स्व० पप्पू मुसहर, 46, दुलारचन्द्र गुराहर, अनुसूचित जाति	चन्दा देवी (पत्नी)	814 27.05.2026	ग्राम-दुबौली, पो०-अम्मापली, पं०-सलेमपुर, थाना-प्र०-पीरपैती, जिला भागलपुर 9199621422	170232 110183 39	UCO UCBA000 1702	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, ईट भट्टा में मजदूरी का कार्य
6	स्व० लुईश गुर्गू, 31, चतुर मुर्मू, अनुसूचित जनजाति	नीलग रोरेन (पत्नी)	818 27.05.2026	ग्राम उपरबंदा, पो० गगैया, थाना ईशीपुर, प्र० पीरपैती, जिला भागलपुर 7294172012	306832 59725	SBI SBIN000 3596	रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु (राइक दुर्घटना के कारण) कृषक मजदूरी

कुल :- रु 6,00,000/-

(छः लाख रुपये मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार

एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011/बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-38/2026(अंश)-११५ पटना, दिनांक :- 10/08/2026

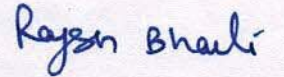
प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 6,00,000/- (छः लाख रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, भागलपुर/उप श्रमायुक्त, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।



06/08/2026

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी



(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक